उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

पत्रांक : 265 / सू.एवंलो.स.वि. (प्रेस) 42 / 2011 देहरादूनः दिनांक 16 अप्रैल, 2018

विज्ञप्ति

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा दिवंगत पत्रकार "स्व. राम प्रसाद बहुगुणा की स्मृति" को चिरस्थायी बनाये जाने के लिए पात्र पत्रकारों से उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश 231 / XXII / 2011–2(7)2011 दिनांक 06 सितम्बर, 2011 तथा शासनादेश संख्या 323 / XXII / 16–2 (7) 2011 दिनांक 22 नवम्बर, 2016 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत एक वरिष्ठ पत्रकार को राज्यस्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु इच्छुक पत्रकार, जो निम्न शर्ते पूर्ण करते हो, से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैः–

1. वरिष्ठ पत्रकार की आयु कम से कम 55 हो।
2. पत्रकार का पूर्णकालिक पत्रकार के रूप में कार्य करने का कम से कम 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा गत 15 वर्षो से उत्तराखण्ड में नियमित रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हो।
3. पत्रकार का व्यवसाय पूर्णतः पत्रकारिता होना चाहिए।
4. पत्रकार के सामाजिक / सांस्कृतिक / ऐतिहासिक / विकासात्मक / रचनात्मक आदि विषयों पर नियमित रूप से लेख / स्टोरी प्रकाशित / प्रसारित हुई हों।
5. जिन पत्रकारों द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार 2017–18 में विभाग को अपने आवेदन प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये है, उन्हे पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नही है।

अतः इस सम्बन्ध में पात्र पत्रकार विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से आगामी 05 मई, 2018 तक उपरोक्त की पुष्टि में प्रमाणित अभिलेख तथा प्रकाशित / प्रसारित सामग्री सहित अपने प्रस्ताव / आवेदन महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून के नाम भेज सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्ताव पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। पुरस्कार हेतु पत्रकार का चयन गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय
महानिदेशक